भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 178
उत्तर देने की तारीख: 18.07.2022

निजी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा फीस का विनियमन और छात्रों का उत्पीड़न किया जाना

†178. **श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी :**
श्री महेश साहू:
डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री पी.पी. चौधरी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में पब्लिक शैक्षणिक संस्थाओं/स्कूलों की फीस को विनियमित करने के लिए एक नीति बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) निजी स्कूल के प्रशासन द्वारा फीस के शुगतान के लिए उत्पीड़ित किए जाने के विरुद्ध आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस तरह के उत्पीड़न के विरुद्ध कोई नीति तैयार की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) ओडिशा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में दर्ज किए गए ऐसे उत्पीड़न के मामलों, यदि कोई हो, की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले/वित्त पोषित स्कूलों के अलावा अन्य स्कूल, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। इस प्रकार, स्कूलों में शुल्क और उसके घटकों से संबंधित मामले को संबंधित राज्य सरकार के नियमों और निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

शुल्क संरचना और शुल्क संशोधन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिनियमों और विनियमों द्वारा विनियमित होते हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने संबद्धता उप-नियम, 2018 के अध्याय 7 में स्कूल शुल्क से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को शामिल किया है।

7.1 कोई भी सोसाइटी/ट्रस्ट/कंपनी/स्कूल विद्यार्थियों के प्रवेश लेने पर कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा या दान स्वीकार नहीं करेगा।

7.2 प्रवेश शुल्क और किसी अन्य शीर्ष के तहत लिया जाने वाला शुल्क समुचित सरकार द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार ही लिया जाएगा।

7.3 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मदों के तहत ही शुल्क लिया जाएगा।

7.5.1 स्कूलों का शुल्क संशोधन समुचित सरकार के कानूनों, विनियमों और निदेशों के अध्यधीन होगा।

7.5.2 स्कूल प्रबंधन समिति के स्पष्ट अनुमोदन या समुचित सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना किसी भी परिस्थिति में शुल्क संशोधन नहीं किया जाएगा।

7.6 राज्य में स्थित स्कूलों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में शुल्क नियमन से संबंधित केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिनियम और विनियम सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों पर भी लागू होंगे।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अनुसार:

12 (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक स्कूल,-

ग) धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय पहली कक्षा में, आसपास में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को, उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और नि: शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक, प्रदान करेगा:

जबकि, जैसा कि आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 2(ङ) में परिभाषित है:

2 (ङ) "दुर्बल वर्ग का बालक" से ऐसे माता-पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेरित है, जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है;

और, अधिनियम की धारा 2(ढ) के अनुसार:

2(ढ)"विद्यालय"से प्रारम्भिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं-

i. समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई विद्यालय;

II. समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने सम्पूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाला कोई सहायता प्राप्त विद्यालय;

iii. विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का कोई विद्यालय; और

iv. समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने सम्पूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न करने वाला कोई गैर-सहायता-प्राप्त विद्यालय;

*****